

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 13.04.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बेचू कश्यप पुत्र शम्भू कश्यप नि० पचईपुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—74/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. इन्द्रदेव सोनकर पुत्र मिश्री लाल नि० रमईपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 120 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—147/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राज बहादुर पुत्र पचई निषाद नि० ऐली परसौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—69/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।